<u>न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना</u>

पीठासीन अधिकारी:— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 2017/68 दायर दिनांक 27.03.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. शौकत पुत्र इब्राहीम जाति देशवाली निवासी लाडाबास तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. अ0 अजीज पुत्र इदरिश पुत्र इब्राहीम 2. अ0 मजीद पुत्र इदरिश पुत्र इब्राहीम 3. रमजान पुत्र इदरिश पुत्र इब्राहीम 4. सलाम पुत्र इदरिश पुत्र इब्राहीम 5. अ0 जब्बार पुत्र हनीफ 6. शेर मोहम्मद पुत्र हनीफ 7. मो0 खलील पुत्र हनीफ 8. मो0 जमील पुत्र हनीफ 9. मो0 सलीम पुत्र हनीफ 10. एहसान पुत्र मुमताज पुत्र रहीम 11. याकुब पुत्र रहीम 12. युसुफ पुत्र रहीम 13. मुंशी पुत्र इशाक 14. मजीद पुत्र इशाक 15. अयूब पुत्र इशाक 16. एहसान अली पुत्र इशाक 17. जमालदीन पुत्र सदीक पुत्र रहीम 18. हनीफ पुत्र सदीक पुत्र रहीम 19. रफीक पुत्र सदीक पुत्र रहीम 20. मुस्तकीम पुत्र सदीक पुत्र रहीम समस्त जाति देशवाली निवासीगण लाडाबास तहसील डीडवाना 21. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री इस्लामुदीन, अधिवक्ता, वादी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागोर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017/68
दायर दिनांक 27.03.2017, निर्णय दिनांक 03.08.2017
शौकत बनाम अ0 अजीज, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **03.08.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 20 ग्राम लाडाबास के निवासी है। प्रतिवादी सं0 01 ता 04 खातेदार इदरिश के वारिस उत्तराधिकारी है, प्रतिवादी सं0 05 ता 09 खातेदार हनीफ के वारिस उत्तराधिकारी है। मौजा लाडाबास के खसरा सं0 44, 538, 537, 561, 556 स्व0 रहीम की कब्जा काश्त स्वामित्व सुदा भूमि रही है लेकिन त्रुटिवश खातेदारी में इदरिस व हनीफ का नाम दर्ज हो गया है जबकि यह भूमि पीढियों से स्व0 रहीम के बंट की भूमि रही है। वर्तमान में भी रहीम के वारिस उत्तराधिकारी प्रतिवादी सं0 10 ता 20 के अलग–अलग बंटवारानुसार कब्जा काश्त में है।

खेत खसरा सं0 44, 74, 171, 175, 326, 424, 425, 492, 537, 538, 542, 556, 561, 563, 669 की भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के एक ही वंश के सदस्य है जो बडेरो क भूमि थी। उक्त भूमि में से स्व0 रहीम देशवाली के बंट में खसरा सं0 44, 537, 538, 556, 561 खसरान की भूमि बंट में आयी थी परन्तु राजस्व अधिकारियों की भूल से यह भूमि प्रतिवादी सं0 01 ता 09 के पूर्वज इदरिश व हनीफ के नाम राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश दर्ज हो गई। उक्त भूमि पूर्वजों से चली आकर प्रतिवादी सं0 10 ता 20 के कब्जा काश्त में है जिसमें हर अलग–अलग खसरान बंट में प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से में काश्त करते आ रहे है।

स्व0 रहीम देशवाली के बंट में खसरा सं0 44, 537, 538, 556, 561 बंट में आयी थी जिन्होने अपने जीवनकाल में मौके पर भौतिक रूप से बंटवारा कर कब्जा संभला दिया जिसके अनुसार वादी को खसरा सं0 44 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा बंट में आयी व प्रतिवादी सं0 10 ता 20 के खसरा सं0 538 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा भूमि बंट में आयी। प्रतिवादी सं0 13 ता 16 के बंट में खसरा सं0 537 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा व खसरा सं0 561 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा बंट में आयी प्रतिवादी सं0 17 ता 20 के बंट में खसरा सं0 556 रकबा 09 बीघा 03 बिस्वा भूमि बंट में आयी। उक्त समय से ही प्रतिवादी अपने अपने हिस्से में कब्जा काश्त आधिपत्य में रखकर भोग उपभोग कर रहे है। इसलिए वादी को घोषिणा खातेदारी रिकार्ड दुरूस्ती का वाद लाना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी है कि वाके सरहद लाडाबास में वादी का खसरा सं0 44 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा बंट व खातेदारी में हो व प्रतिवादी सं0 10 ता 12 के खसरा सं0 538 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा भूमि बंट व खातेदारी में हो। प्रतिवादी सं0 13 ता 16 के बंट में खसरा सं0 537 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा व खसरा सं0 561 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा बंट व खातेदारी में हो। प्रतिवादी सं0 17 ता 20 के बंट व खातेदारी में खसरा सं0 556 रकबा 09 बीघा 03 बिस्वा भूमि बंट व खातेदारी में हो व प्रतिवादी सं0 01 ता 09 का नाम उक्त खसरों में से हटाया जाकर उक्त अनुरूप खातेदारी दुरूस्त होते हुए घोषित होकर दर्ज होकर इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी हो।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 21 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017/68
दायर दिनांक 27.03.2017, निर्णय दिनांक 03.08.2017
शौकत बनाम अ0 अजीज, वगैरा।

प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 व 21 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादी सं0 10 ता 20 ने इकबालिया जवाब पेश किया। इकबालिया जवाब अनुसार वादी का वाद सही होने से स्वीकार है। साक्ष्य वादी में PW-1 शौकत, PW-2 रहमत अली के शपथ पत्र पेश हुए। साक्ष्य वादी के अनुसार वादी में वर्णित खसरा नम्बरान पर वादी व प्रतिवादी सं0 10 ता 20 का ही कब्जा काश्त है तथा पक्षकारान को मैं भली भांती जानता व पहचानता हुं।

वादी ने अपने समर्थन में EX-1 से EX-4 पूर्व में दिनांक 13.11.1996 को पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा की नकल पेश की। राजीनामा अनुसार उपरोक्त जायगा वादी व प्रतिवादी सं0 10 ता 20 के नाम घोषित की जावें तो कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी् की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। तत्सम्बधी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

अधिवक्तागण पक्षकारान्, वादी के वाद को डिक्री किए जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं।

वादी के वाद को किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डित नहीं किया गया होने से वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

<u>आदेश</u>

हस्ब दावा जरिये राजीनामा डिक्री सादिर कर सरहद लाडाबास के खसरा सं0 44 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा की बंट व खातेदारी वादी शौकत के, प्रतिवादी सं0 10 ता 12 के खसरा सं0 538 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा भूमि बंट व खातेदारी में, प्रतिवादी सं0 13 ता 16 के बंट में खसरा सं0 537 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा व खसरा सं0 561 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा बंट व खातेदारी में, प्रतिवादी सं0 17 ता 20 के बंट व खातेदारी में खसरा सं0 556 रकबा 09 बीघा 03 बिस्वा भूमि, घोषित कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 01 ता 09 का नाम उक्त खसरों में से हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 03.08.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **2017/68** — दायर दिनांक **27.03.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. शौकत पुत्र इब्राहीम जाति देशवाली निवासी लाडाबास तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. अ0 अजीज पुत्र इदरिश पुत्र इब्राहीम वगैराह समस्त जाति देशवाली निवासीगण लाडाबास तहसील डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—88, 188 R.T.Act.

दिनांक **03.08.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री इस्लामुदनी, अधिवक्ता, वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा जरिये राजीनामा डिक्री सादिर कर सरहद लाडाबास के खसरा सं0 44 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा की बंट व खातेदारी वादी शौकत के, प्रतिवादी सं0 10 ता 12 के खसरा सं0 538 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा भूमि बंट व खातेदारी में, प्रतिवादी सं0 13 ता 16 के बंट में खसरा सं0 537 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा व खसरा सं0 561 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा बंट व खातेदारी में, प्रतिवादी सं0 17 ता 20 के बंट व खातेदारी में खसरा सं0 556 रकबा 09 बीघा 03 बिस्वा भूमि, घोषित कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 01 ता 09 का नाम उक्त खसरों में से हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत....................—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **03.08.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

न्यायालय सहायक कलक्टर
* डीडवाना *

Scanned by CamScanner